1 TA /66/2018 मोती बनाम सुडी

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/66/2018

उनवान

1. मोती आत्मज हरदेव जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सूडी पत्नी मांगू जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्रीमती जेतू उर्फ बदाम पुत्री मांगू जाट पत्नी छोटू लाल जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी/वादीगण

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण
संख्या 134/2015(92/2015) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.1..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री अभिमन्यु जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर एल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 287 खसरा नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 851 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात संवत 2030 से 2033 की जमाबंदी में मांगू पिता कजोड जाट के नाम पर कुलिया रूप से दर्ज रही । जिनके वारिसान वादिया पत्नि सूडी व पुत्री जेतू उर्फ बदाम है। इसी प्रकार खाता संख्या 286 की आराजी नम्बर 547 रकबा 0.04 गैर मुमकिन आता चाह भी जमाबंदी संवत 2030 से 2033 की जमाबंदी में मांगू पिता कजोड जाट के नाम पर 1/4 हक हिस्से अनुसार दर्ज रहीं। जिनके वारिसान वदिया सूडी व पुत्री जेतु उर्फ बदाम है। उक्त आराजी ही वाद में विवादित है। वादिया एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :-

मांगू

सुडी जेतु उर्फ बदाम

2. सजरे के अनुसार मांगू जी के एक पुत्री जेतु उर्फ बदाम व पत्नि सुडी है। वादग्रस्त आराजियात मांगू आत्मज कजोड की आराजियात रही व जब मांगू जी का देहान्त हो गया तो उक्त आराजियात का विरासत से नामान्तरकरण तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण फर्द में मोती पिता मांगू के नाम पर मनमकसूद तरीके से भर कर प्रस्तुत कर दिया व मांगू को मोती का गोद पुत्र बता दिया साथ ही साथ तत्कालीन पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों ने श्रीमति सुडी वादिया को मोती बबिलायत माता बताकर नामान्तरकरण में नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत मंशा के यहाँ प्रस्तुत कर दिया जिस पर ग्राम पंचायत मंशा ने उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण को खारिज कर दिया । फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी मोती से मिलाभगती कर तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को गोदपुत्र बताते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 को नाबालिग होते हुए भी नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम पर खोल दिया व उक्त नामान्तरकरण के संवत के आगे रोटेशन में विरासत के आधार पर मांगु पिता कजोड की समस्त आराजियात को तन्हा रूप से मोती पिता मांगु के नाम पर दर्ज अभिलेख कर दिया । जबकि न तो वादिया व न ही मांगु ने मोती को विधिवत सामाजिक प्रथा के अनुसार या रजिस्टर्ड गोद नामे के गोद लिया व न ही ऐसा कोई दस्तावेज वक्त नामान्तरकरण ही मोती द्वारा पेश किया गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी मोती व राजस्व कर्मचारियों ने मिलाभगती कर मोती का मांगु का तथाकथित गोदपुत्र बताते हुए तन्हा रूप से मांगू की समस्त आराजियात मोती के नाम पर दर्ज अभिलेख कर दी । जबकि जिस दिन मांगु जी का देहान्त हुआ उस समय वादिया सूडी व जेतु उर्फ बदाम जीवित थी जो कि सूडी मांगु की पत्नि है एवं जेतु उर्फ बदाम पुत्री है एवं प्रथम श्रेणी की वारिस रहीं है। यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मांगु जी ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत, गोदनामा, विक्रय पत्र आदि निष्पादित नहीं करवाया । चूंकि वादियागण श्री मांगु जी की पत्नि/पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है इस कारण उक्त विवादित आराजियात में हक अधिकार वादियागण के विवाह/जन्म से ही निहित हो गये हैं जो आज दिनांक तक चले आ रहे हैं। वादियागण का उक्त आराजियात में मांगू जी के हिस्से की आराजियात पर कब्जा काश्त अनवरत रूप से मांगू जी के जीवनकाल से ही निरन्तर तौर पर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। इस कारण से वादियागण उक्त विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार स्वतः ही हो गई है। किन्तु राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अधिकारियों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने मिलाभगती कर वादियागण का नाम उक्त विवादित आराजियात में दर्ज नहीं किया है। जिसे सही किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादियागण का नाम उक्त विवादित आराजियात में लाया जाना नितान्त आवश्यक है एवं वादियागण को उक्त विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इसी निमित वाद पत्र पेश किया जा रहा है।

3. वादियागण का उक्त विवादित आराजियात में बराबर बराबर हिस्सा है एवं काबिज हो काश्त करती चली आ रही है । राजस्व रेकार्ड में केवल अपने नाम पर उक्त विवादित आराजियात दर्ज होने से मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है एवं वादियागण को प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होना भी नहीं मानता है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित आराजियात को या उसके कुछ भाग को रहन बय बक्षीस कर दिया गया तो वादीगण को भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है कि वे उक्त विवादित आराजियात को कुलिया रूप से या इसके किसी भी हिस्से को रहन , बय बक्षीस ना करें एवं वादीगण को उक्त आराजियात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें ना किसी अन्य से करावें। यदि इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमाई गई तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका अर्थ के रूप में कदापि मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा व मौके पर अनेकानेक विवाद उत्पन्न हो जायेंगे। वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो वादीगण ने प्रतिवादी को निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपना नाम विलोपित करवाकर वादीगण का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी नाम जुडवा लें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से दिनांक 25.9.2015 को मना कर दिया व वादीगण को धमकी दी कि वे उसे मौके से बेकब्जा कर देंगे एवं उक्त विवादित आराजियात को उनके नाम पर होने से अन्य दिगर व्यक्ति को रहन बय बक्षीस कर देंगें व इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अन्य व्यक्तियों को ला रहा है व अपनी आराजी बता रहन बय बक्षीस करने की तैयार कर रहे हैं।

4. अतः वादीगण का उक्त वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में किया जाकर काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे। साथ ही वादीगण का उक्त वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजियात को रहन, बय बक्षीस करें, व किसी प्रकार से वादिया को बेकब्जा नही करें। दौराने वाद यदि उक्त वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी अन्य को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर दे या वादीगण को बेदखल कर दे तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के समग्र अनुक्रम नहीं होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2018 अत्यन्त ही अन्यायपूर्ण, स्वेच्छाचारी एवं पक्षपाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता साक्ष्य अधिनियम तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.11.2017 को बिना किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र के स्वयं प्रेरणा से ही दोनों प्रकरणों को समेकित करने के आदेश देते हुए आगामी दिनांक 16.1.2018 को बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.1.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और उसी दिन विवाद्यक विरचित कर वादीगण की साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश करवा अपीलार्थी/प्रतिवादी मोती को जिरह का अवसर दिये बिना वादीगण की साक्ष्य सम्पूर्ण मानते हुए यह अंकित कर दिया कि प्रतिवादी की साक्ष्य में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और वादी की साक्ष्य बन्द कर दिनांक 16.1.2018 को ही बहस सुनना अंकित कर दिनांक 16.1.2018 को ही बहस सुनना अंकित कर निर्णय पारित कर दिया । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने एक दिन में ही बिना सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशों व नियमों का पालन किये बिना तथा साक्ष्य अधिनियम की पालना किये बिना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति अपीलार्थी/प्रतिवादी को नहीं दिलाई गई एवं न ही वादीगण के गवाहों से अपीलार्थी/प्रतिवादी को जिरह का अवसर ही प्रदान किया गया । वादीगण द्वारा तीन शपथ पत्र सूडी, हीरा व जीतमल के प्रस्तुत किये गये । तीनों ही शपथ पत्रों को न तो शपथ आयुक्त से तस्दीक करवाई गई है एवं न ही किसी अधिवक्ता द्वारा पहचान कराई गई है। शपथ पत्र में लिख देने से ही अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्शित मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और दिनांक 16.1.2018 को ही साक्ष्य बन्द करने का आदेश दिया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.1.2018 को ही आदेश में अंकित किया गया है :– ––**पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र नियम 7/11 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया गया । सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यके शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 को रिकार्ड पर लिया गया । वादी प्रतिवादी की बहस सुनी गई। तनकियात कायम की गई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर अलग से फैंसल शुमार हो। नियमानुसार डिकी पर्चा बनाया जाये।** '' इस प्रकार अपीलार्थी/प्रतिवादी को न तो पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.1.2018 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतिजल्दबाजी करते हुए तथा मनमाने तरीके से जारी किया गया है जो खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मांगू का गोदपुत्र है और जब मोती 13–14 वर्ष का था तब मांगू एवं सूडी ने गोद की सभी रस्में करते हुए मोती को गोद रखा था और मांगू की मृत्यु के पश्चात दिनांक 12.12.1973 को आज से करीब 44 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी/वादीगण सूडी एवं जेतू की उपस्थिति में एवं सहमति से मोती के नाम पर नामान्तरकरण खुला और करीब 44 वर्षों से मोती खातेदार स्वामी होकर मोती का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

12. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेशिका दिनांक 16.1.2018 व निर्णय में तनकियात बनाये जाने का वर्णन दिया है जबकि न तो तनकियात पर आपत्ति करने का अवसर अपीलार्थी/प्रतिवादी को दिया गया है और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियात के अनुसार निर्णय पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तनकियात कायम हो जाने के पश्चात पक्षकारों द्वारा साक्ष्य से तनकियात के संबंध में मामला सिद्ध करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात ही तनकियात के अनुसार निर्णय दिया जाकर डिक्री बनती है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री प्रदान की है वह तनकियात के अनुसार नहीं दिये है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/वादीगण ने नामान्तरकरण दिनांक 12.12.1973 की न तो अपील की है और न ही कही वाद प्रस्तुत किया है। प्रस्तत वाद परिसीमा अवधि से परे है और अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मोती मांगु का गोद पुत्र है तथा गोद पुत्र के बिन्दु को सक्षम सिविल न्यायालय से निर्धारित कराये बिना प्रत्यर्थी/वादीगण का वाद प्रि-मिच्योर होकर खारिज योग्य है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मोती ने वादग्रस्त आराजियात पर आई सी आई सी आई बैंक शाखा बीगोद ने अपने अधिवक्ता से रिपोर्ट प्राप्त कर यह जानकारी भी प्राप्त की कि वादग्रस्त आराजियात का स्वामी व कब्जेधारी मोती है और सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लोन दिया है। आई सी आई सी आई बैंक शाखा बीगोद प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी मोती द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया जिसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है और प्रार्थना पत्र के लंबित रहते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

17. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी संख्या 825 रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा संख्या 850 रकबा 5 बिस्वा वादग्रस्त कुए की जगह है जिसमें धन्ना पुत्र उदा जाट, पप्पू पुत्र भैरू जाट एवं पुष्पा पुत्री भैरू जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी भी खातेदार एवं हिस्सेदार है। अधिनस्थ न्यायालय ने इन तीनों हिस्सेदार व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिये बिना ही अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

18. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी मोती का पिछले 44 वर्ष से कब्जा प्रत्यर्थी/वादीगण की सहमति से व जानकारी में बिना रोक–टोक चला आ रहा है। प्रत्यर्थी/वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा एवं उपयोग उपभोग नहीं है। कब्जे के अभाव में तथा कब्जेयाबी का अनुतोष चाहे बिना अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

19. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात मांगु आत्मज कजोड की आराजियात थी। मांगू का देहान्त होने के उपरान्त उसके वारिसान अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियाता का खातेदार काश्तकार अंकन किया जाना चाहिये था। परन्तु उक्त आराजियात का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी मोती पिता मांगू के नाम पर मनमकसूद तरीके से कर दिया । अपीलार्थी को मांगू का गोद पुत्र बताते हुए उसके नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज रेकार्ड की गई । ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया था तो भी पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण खोल दिया ।जबकि न तो वादिया/प्रत्यर्थीया ने एवं न ही मांगू ने मोती को विधिवत सामाजिक प्रथा के अनुसार या रजिस्टर्ड गोद नामें के गोद लिया व न ही ऐसा कोई दस्तावेज वक्त नामान्तरकरण ही मोती द्वारा पेश किया गया है। जबकि जिस दिन मांगू का देहान्त हुआ उस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समय से अपीलार्थीया सूडी व जेतु उर्फ बदाम जीवित रही जो कि सूडी मांगू की पत्नि है एवं जेतु उर्फ बदाम पुत्री है एवं प्रथम श्रेणी की वारिस है। मांगू जी ने अपने जीवन काल में कोई भी वसीयत , गोदनामा, विक्रय पत्र आदि निष्पादित नहीं कराया है।

20. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि चुकि वादीगण मांगू जी की पत्नि/पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है इस कारण वादग्रस्त आराजयात में हक अधिकार वादीगण के विवाह/जन्म से ही निहित हो गये थे। मांगू जी की मृत्यु के उपरान्त प्रत्यर्थीगण का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 287 खसरा नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 851 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा में से 1/4 हिस्से का मोती का खातेदार काश्तकार तथा आराजी नम्बर 825 रकबा 03 बिस्वा में व खसरा नम्बर 850 रकबा 5 बिस्वा में अपीलार्थी को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया वह विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे

21. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

22. दिनांक 23.11.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 92/16 अधिनस्थ न्यायालय में लंबित होने से एवं प्रकरण की विषयवस्तु समान होने से कन्सोलिटेड किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

23. अधिनस्थ न्यायालय में श्रीमती सूडी पत्नि मांगू जाट एवं श्रीमती जेतू उर्फ बदाम पुत्री मांगू जाट पत्नि छोटू लाल जाट द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मांगू जाट द्वारा मोती जाट को कभी गोद नहीं रखा है। उसके बावजूद पटवारी हल्का ने मोती को मांगू का गोद पुत्र मानकर वादग्रस्त आराजियात का विरासत से खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया गया है उसके बावजूद पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण मोती के नाम पर दर्ज किया गया है। वादग्रस्त आराजियात में से मोती का नाम हटाया जाकर मांगू की पत्नि सूडी एवं पुत्री जेतू उर्फ बदाम का नाम वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड किया जावे।

24. अपीलार्थी ने अपने आपको हरदेव का पुत्र बताते हुए मांगू आत्मज कजोड जाट के सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार सारी प्रकिया अपनाने के उपरान्त गोद जाने का कथन किया है। लेकिन अपने कथनों की पुष्टि में अपीलार्थी द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थीया सूडी जो कि मांगू की पत्नि है जिसने अपीलार्थी को गोद लिये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। गोद लिये जाने की अवस्था में जायन्दा माता–पिता द्वारा गोद माता–पिता के सामाजिक रश्म अनुसार गोद लिये जाने एवं गोद दिये जाने की प्रकिया अपनाई जाती है। जबकि स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को गोद लेने से ही इंकार कर दिया है। अपीलार्थी अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

कथनों को पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं करा पाया है।

25. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । वादिया द्वारा प्रस्तुत गवाहान पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 गवाहान के शपथ पत्रों की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं कराई एवं न ही उनसे जिरह का अवसर ही प्रदान किया गया । एक ही दिन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का निर्णय पारित कर उसी दिन तनकियात कायम कर बिना अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

26. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.1.2018 का अवलोकन किया । जिसमे अंकित किया गया है कि " वकील उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया गया । सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 को रेकार्ड पर लिया गया । वादी प्रतिवादी की बहस सुनी गई , तनकियात कायम की गई ।" अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व स्वयं प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। उभयपक्षके अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को आदेशिका दिनांक 161.2018 में ही निर्णित कर दिये जाने का अंकन किया गया है । अपीलार्थी अपने कथनों को पूर्णतया साबित करने में असफल रहा है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

27. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 26.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । प्रत्यर्थी संख्या 1 /मोती ने अपने आपको हरदेव का जायन्दा पुत्र होना बताकर मांगू के यहाँ गोद जाने का कथन किया है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही इस तथ्य को गवाहान के बयान , साक्ष्य, दस्तावेज से साबित कराया है । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने जायन्दा पिता की सम्पति में से हक हिस्सा प्राप्त नही किया हो। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के पेरा संख्या 17 में यह अंकित किया है कि ''वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है एवं उक्त दोनों तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे व बहस में इंकार नहीं किया है इस कारण यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित है कि सुडी व जेतू मांगु की पत्नी/पुत्री है जो कि मांगू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है इस कारण से उक्त वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा जन्म से निहित होकर स्वाभाविक रूप से बनता है। वहीं दूसरा प्रश्न न्यायालय के समक्ष जो अवधारणा हेतु उपस्थित रहा उसमें प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मोती मांगू का गोदपुत्र है। वहीं प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे है कि मांगू व सुडी ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी को गोद लिया हो एवं मोती के प्राकृतिक पिता ने गोद दिया हो। **इस कारण मोती का गोद पुत्र हो ऐसी कोई मौखिक व लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। जिससे**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कि मोती को मांगू का गोद पुत्र माना जा सके। '' जब अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विवेचनानुसार अपना अभिमत व्यक्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ने मोती को मांगू का गोद पुत्र नहीं माना । उसके उपरान्त पेरा नम्बर 18 में अंकित किया कि '' **किन्तु न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली से यह स्पष्ट रूप से आया है कि मांगु की आराजियात आज से 44-45 वर्ष पूर्व मोती के नाम पर आई है जो कि किसी कारण विशेष से आई होगी** । दौराने बहस स्वयं प्रतिवादी मोती उपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा पूछने पर प्राकृतिक पिता की जमीन में हिस्सा आया है या नही तो उन्होनें बताया कि प्राकृतिक पिता की जमीन में उनका कोई हिस्सा नहीं है ऐसी स्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादग्रस्त आराजियात जो कि मांगु पिता कजोड की रही है में वादीगण सुडी व जेतु को मांगु के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजियात में मोती के साथ बराबर-बराबर हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। '' मेरे विनम्र अभिमत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपना अभिमत व्यक्त किया है कि '' **किन्तु न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली से यह स्पष्ट रूप से आया है कि मांगु की आराजियात आज से 44-45 वर्ष पूर्व मोती के नाम पर आई है जो कि किसी कारण विशेष से आई होगी** ।'' इस आधार पर अपीलार्थी/प्रतिवादी को मांगू की वादग्रस्त आराजियात में सूडी व जेतू के साथ ही खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

28. जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपना अभिमत व्यक्त कर दिया था कि ''**वहीं प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे है कि मांगू व सुडी ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी को गोद लिया हो एवं मोती**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

के प्राकृतिक पिता ने गोद दिया हो। इस कारण मोती का गोद पुत्र हो ऐसी कोई मौखिक व लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। जिससे कि मोती को मांगू का गोद पुत्र माना जा सके।'' प्रत्यर्थी /प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया है एवं न ही अपने जाइन्दा पिता हरदेव की खातेदारी भूमि में से विरासत से हक नहीं प्राप्त किया हो इस सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी को वादग्रस्त मांगू पिता कजोड के हिस्से में आई आराजियात में 1/3 हक हिस्से का वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

29. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जब बाद विचारण यह अभिमत व्यक्त कर दिया था कि '' वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है एवं उक्त दोनों तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे व बहस में इंकार नहीं किया है इस कारण यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित है कि सुडी व जेतू मांगु की पत्नी/पुत्री है जो कि मांगू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है इस कारण से उक्त वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा जन्म से निहित होकर स्वाभाविक रूप से बनता है। '' ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि मांगू पिता कजोड की वादग्रस्त आराजियात में प्रत्यर्थीगण/वादीगण को ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी गोदनामे, रजिस्टर्ड दस्तावेज के रिकोर्ड पर नहीं होते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

30. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.1.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी मोती आत्मज हरदेव जाट का नाम ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 287 वादग्रस्त आराजी नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 851 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा ,एवं आराजी संख्या 547 रकबा 04 बिस्वा में 1/4 हिस्से में तथा आराजी संख्या 825 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 850 रकबा 05 बिस्वा में से 1/3 हिस्से से विलोपित किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

31. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 66 / 2018

उनवान

1. मोती आत्मज हरदेव जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सूडी पत्नी मांगू जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्रीमती जेतू उर्फ बदाम पुत्री मांगू जाट पत्नी छोटू लाल जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी / वादीगण

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 134 / 2015(92 / 2015) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.1..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री अभिमन्यु जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर एल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 66 / 2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, कोटडी** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्रिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 26.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री अभिमन्यु जोशी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री आर एल जाट एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.1.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी मोती आत्मज हरदेव जाट का नाम ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा के

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 287 वादग्रस्त आराजी नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 851 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा ,एवं आराजी संख्या 547 रकबा 04 बिस्वा में 1/4 हिस्से में तथा आराजी संख्या 825 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 850 रकबा 05 बिस्वा में से 1/3 हिस्से से विलोपित किया जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्रिी जारी की जाती है।

26/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस